

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय—सरकार के सचिव को अनुमान्य आवासीय कार्यालय की सुविधा को आधुनिक परिवेश में निरूपित करने के संबंध में ।

सरकार के सचिवों को अनुमान्य आवासीय कार्यालय की सुविधा को, इस संबंध में पूर्व निर्गत अनुदेशों को विलोपित करते हुए, इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

- (i) एक ऑफिस टेबल
- (ii) रिबोलवींग चेयर
- (iii) स्टेशनरी स्टैन्ड
- (iv) कुर्सी-6
- (v) फाईल रैक
- (vi) कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर
- (vii) कम्प्यूटर टेबल
- (viii) ए0सी0
- (ix) फ्लोरिंग (सरकारी आवास में) (अधिकतम 20,000/- रुपये)
- (x) 50% प्रतिमाह बिजली बिल (अधिकतम 1,000/- रुपये प्रति माह)

उपर्युक्त सुविधा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अतिरिक्त विकास आयुक्त, सदस्य-राजस्व पर्षद एवं आरक्षी महानिदेशक को भी अनुमान्य होगी । मुख्य सचिव एवं आरक्षी महानिदेशक पर बिजली बिल की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी ।

2. इस पर होने वाला खर्च संबंधित विभाग के कार्यालय व्यय मद से विकलित होगा तथा क्रय किए गए उपस्कर/उपकरण संबंधित विभाग की परिसम्पति होंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)

उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापक-

दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)

उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक-- 6590 (वि 5) दिनांक-- 31/1/08  
प्रतिलिपि-सभी विभाग/संबंधित विभागाध्यक्ष/सभी सचिवालय कोषागार प  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-  
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)  
उप सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक-- 6590 (वि 5) दिनांक-- 31/1/08  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी राजपत्र में  
प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)  
उप सचिव, वित्त विभाग ।